झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

इंटरमीडिएट द्विवर्षीय व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 107/2011

एतद् द्वारा इंटरमीडिएट द्विवर्षीय व्यावसायिक शिक्षा के सभी छात्र/छात्राओं, प्रधानाध्यापकों, अभिभावकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2010–2012 के लिए पंजीकृत छात्र/छात्राओं का पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं वर्ष 2012 परीक्षा हेतु सादा परीक्षा आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय, राँची, संथाल परगना प्रमण्डल में अवस्थित +2 विद्यालय/महाविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल में अवस्थित +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से निम्न प्रकार वितरित किया जायेगा। जिसे विद्यालय प्रधान स्वयं या प्राधिकृत दूत भेजकर प्राप्त कर लेंगे तथा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करेंगे।

पंजीयन प्रमाण–पत्र का वितरण – 07.12.2011 से 09.12.2011 तक
सादा परीक्षा आवेदन प्रपत्र का वितरण – 07.12.2011 से 09.12.2011 तक

भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि:-

विलम्ब शुल्क रहित– 20.12.2011 से 22.12.2011 तक
विलम्ब शुल्क सहित– 23.12.2011 से 27.12.2011 तक

परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार देय होगा :-

1. परीक्षा शुल्क	: ₹175/– प्रति छात्र/छात्रा
2. अंक पत्रक शुल्क	: ₹60/– प्रति छात्र/छात्रा
3. लोकल लेवी	: ₹230/– प्रति छात्र/छात्रा
4. परीक्षा प्रपत्र शुल्क	: ₹75/– प्रति छात्र/छात्रा
5. औपबन्धिक शुल्क	: ₹60/– प्रति छात्र/छात्रा
6. प्रवजन शुल्क	: ₹60/– प्रति छात्र/छात्रा
7. विविध शुल्क	: ₹20/– प्रति छात्र/छात्रा
8. व्यावसायिक प्रायोगिक शुल्क	: ₹350/– प्रति छात्र/छात्रा
9. परीक्षा विलम्ब शुल्क	: ₹250/– प्रति छात्र/छात्रा

सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **'झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड, राँची'** के नाम से देय एवं भुगतेय,संथाल परगना प्रमण्डल के लिए **'झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड, दुमका'** के नाम से देय एवं भुगतेय तथा पलामू प्रमण्डल के लिए **'झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड, डाल्टेनगंज'** के नाम से देय एवं भुगतेय होगा। नगद भुगतान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा। डाक द्वारा भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोटः– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नियमित छात्र/छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की नियमित छात्राओं का परीक्षा शुल्क ₹175/– देय नहीं होगा। अन्य शुल्क सामान्य परीक्षार्थियों की तरह देय होगा।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-
(यमुना गिरि)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/व्या.स.प./3952/09/SECY/530/11
Dt. 29.11.2011
D.O.P : 30.11.2011